Yojna IAS
C-32 Noida Sector-02
Uttar Pardesh (201301)
Contact No. +8595907569

CURRENT AFFAIRS

Date – 27 May 2022

परम पोरुल सुपरकंप्यूटिंग

- परम पोरुल, एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) के तहत एनआईटी तिरुचिरापल्ली में किया गया।
- परम पोरुल सुपरकंप्यूटिंग सुविधा एनएसएम के दूसरे चरण के तहत स्थापित की गई है, इसमें उपयोग किए जाने वाले अधिकांश घटक देश में निर्मित और असेंबल किए जाते हैं। साथ ही मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप सी-डैक द्वारा विकसित स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक का भी इसमें उपयोग किया गया है।

परम पोरुल की विशेषताएं:

- विभिन्न वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए सीपीयू (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) नोड्स, जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) नोड्स, हाई मेमोरी नोड्स, हाई थ्रूपुट स्टोरेज और हाई-परफॉर्मेंस इनफिनीबैंड इंटरकनेक्ट के मिश्रण से लैस परम पोरुल सिस्टम है।
- प्रणाली प्रचालन लागत को कम करते हुए उच्च शक्ति उपयोग दक्षता प्राप्त करने के लिए सीधे संपर्क तरल शीतलन प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है।
- विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों जैसे मौसम और जलवायु, जैव सूचना विज्ञान, कम्प्यूटेशनल रसायन विज्ञान, आणविक गतिकी, सामग्री विज्ञान, कम्प्यूटेशनल तरल गतिकी आदि में कई अनुप्रयोगों को शोधकर्ताओं के लाभ के लिए सिस्टम द्वारा स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के बारे में:

- राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू किया गया था ताकि देश की अनुसंधान क्षमताओं को सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड से जोड़कर बेहतर बनाया जा सके, इस क्षेत्र में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य कर रहा है।
- राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) के साथ एक सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करके देश में अनुसंधान और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वर्ष 2015 में राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन शुरू किया गया था।
- एनकेएन परियोजना का उद्देश्य एक शक्तिशाली भारतीय नेटवर्क स्थापित करना है जो सुरक्षित और विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम होगा।

Yojna IAS

- सुपरकंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो वर्तमान में किसी कंप्यूटर के लिए उच्चतम ऑपरेटिंग दर पर या उसके निकट प्रदर्शन करता है।
- इस मिशन के तहत 64 से अधिक पेटाफ्लॉप की संचयी गणना शक्ति के साथ 24 सुविधाओं के निर्माण और कार्यान्वयन की योजना बनाई गई है।
- पेटाफ्लॉप एक सुपरकंप्यूटर की प्रसंस्करण गति के मापन की एक इकाई है, जिसे प्रति सेकंड एक हजार ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
- यह सरकार के 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' पहल के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
- मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे और आईआईएससी (बैंगलोर) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

मिशन की योजना तीन चरणों में बनाई गई थी:

- **चरण I-** इसमें सुपर कंप्यूटरों को असेंबल करना शामिल है।
- **चरण II-** देश के भीतर कुछ घटकों के निर्माण पर विचार करना।
- **चरण III-** इसके तहत सुपरकंप्यूटर को भारत द्वारा डिजाइन किया गया है।

Yojna IAS

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत हाल के घटनाक्रम:

- चरण 1 और चरण 2 के तहत, आईआईटी, सी-डैक, एनआईटी, जेएनसीएएसआर और आईआईएसईआर में 22 पेटाफ्लॉप (पीएफ) की कंप्यूटर शक्ति के साथ 15 सिस्टम बनाए गए हैं।
- एनएसएम ने चरण 2 के एक भाग के रूप में 66 पेटाफ्लॉप की सुपरकंप्यूटिंग क्षमता के साथ मार्च 2022 में आईआईटी रुड़की में "परम गंगा" स्थापित किया।
- परम सिद्धि-एआई 26 पेटाफ्लॉप की क्षमता के साथ राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत निर्मित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है।
- जापान का फुगाकू दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है।

Swadeep Kumar

Yojna IAS

सेक्स वर्क को "पेशे" के रूप में मान्यता देना: सुप्रीम कोर्ट

- हाल ही में एक ऐतिहासिक आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने यौन कार्य को "पेशे" के रूप में मान्यता दी है और कहा है कि इसके व्यवसायी कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं।
- न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग किया। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है कि वह अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करे।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने वर्ष 2020 में यौनकर्मियों को अनौपचारिक श्रमिकों के रूप में मान्यता दी।

Yojna IAS

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य विशेषताएं:

फौजदारी कानून:

- यौनकर्मी कानून के तहत समान सुरक्षा के हकदार हैं और आपराधिक कानून 'आयु' और 'सहमति' के आधार पर सभी मामलों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।
- जब यह स्पष्ट हो जाए कि यौनकर्मी वयस्क है और सहमति से भाग ले रही है, तो पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए।
- अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है।
- जब भी किसी वेश्यालय पर छापा मारा जाता है तो यौनकर्मियों को "गिरफ्तार या दंडित या परेशान या पीड़ित" नहीं किया जाना चाहिए, "चूंकि स्वैच्छिक यौन कार्य अवैध नहीं है, जबकि वेश्यालय चलाना अवैध है"।

सेक्स वर्कर के बच्चे के अधिकार:

- सेक्स वर्कर के बच्चे को केवल इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह वेश्यावृत्ति में लिप्त है।
- यौनकर्मी और उनके बच्चे भी मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा का आनंद लेते हैं।
- इसके अलावा, यदि कोई नाबालिग वेश्यालय में या यौनकर्मियों के साथ रहती हुई पाई जाती है, तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चे का अवैध व्यापार किया गया है।
- अगर सेक्स वर्कर दावा करती है कि वह उसका बेटा/बेटी है, तो यह निर्धारित करने के लिए एक परीक्षा आयोजित की जा सकती है कि क्या

Yojna IAS

दावा सही है और यदि ऐसा है, तो नाबालिग को जबरन अलग नहीं किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य देखभाल:

- यौन उत्पीड़न का शिकार हुई यौनकर्मियों को तत्काल चिकित्सा-कानूनी देखभाल सहित सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

मीडिया की भूमिका:

- मीडिया को इस बात का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए कि गिरफ्तारी, छापे और बचाव कार्यों के दौरान यौनकर्मियों, चाहे पीड़ित हों या आरोपी, की पहचान का खुलासा नहीं किया जाता है और उनकी पहचान को प्रकट करने वाली कोई भी तस्वीर प्रकाशित या प्रसारित नहीं की जाती है।

उच्चतम न्यायालय के संबंधित प्रावधान/विचार:

अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम:

- भारत में यौन कार्य को नियंत्रित करने वाला कानून अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम है।
- महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1956 में अधिनियमित किया गया था।
- बाद में कानून में संशोधन किया गया और अधिनियम का नाम बदलकर अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम कर दिया गया।
- कानून वेश्यालय चलाने, सार्वजनिक स्थान पर याचना करने, यौन कार्य की कमाई से गुजारा करने और यौनकर्मी के साथ रहने या आदतन रहने जैसे कृत्यों को दंडित करता है।

Yojna IAS

न्यायमूर्ति वर्मा आयोग (2012-13):

- न्यायमूर्ति वर्मा आयोग ने यह भी माना कि व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की गई महिलाओं और वयस्क, सहमति देने वाली महिलाओं के बीच अंतर है जो स्वेच्छा से यौन गतिविधियों में शामिल हैं।

बुद्धदेब कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2011) मामला:

- बुद्धदेब कर्मस्कार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2011) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यौनकर्मियों को सम्मान का अधिकार है।

सेक्स वर्कर्स के सामने चुनौतियां:

भेदभाव और दोषारोपण:

- यौनकर्मियों के अधिकार न के बराबर हैं और ऐसा काम करने वालों को उनकी आपराधिक स्थिति के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- इन लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है और समाज में इनका कोई स्थान नहीं होता है और अधिकतर जमींदारों और यहां तक कि कानून द्वारा भी इनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता है।
- उनकी लड़ाई समान मानव, स्वास्थ्य और श्रम अधिकारों की मांग करने के लिए जारी है क्योंकि उनके साथ अन्य श्रमिकों के समान श्रेणी में व्यवहार नहीं किया जाता है।

दुर्व्यवहार और शोषण:

- कभी-कभी यौनकर्मियों को कई तरह की गालियों का सामना करना पड़ता है जो शारीरिक से लेकर मानसिक हमलों तक होती हैं।
- उन्हें ग्राहकों, अपने परिवार के सदस्यों, समुदाय और यहां तक कि कानून का पालन करने वालों से भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

Yojna IAS

आगे का रास्ता:

- समय आ गया है कि सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी जाए और इसे एक नैतिक चरित्र दिया जाए।
- सेक्स वर्क के तहत वयस्क पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यौन सेवाएं प्रदान करके जीवन यापन करना; एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार और हिंसा, शोषण, सामाजिक कलंक और भेदभाव से मुक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है।
- श्रम के दृष्टिकोण से सेक्स वर्क पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है, जहां हम उनके काम को पहचानते हैं और उन्हें बुनियादी श्रम अधिकार गारंटी प्रदान करते हैं।
- संसद को मौजूदा कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए और 'पीड़ित-बचाव-पुनर्वास' की प्रक्रिया में व्याप्त समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
- संकट के इस समय में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

Swadeep Kumar

Yojna IAS